

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सिंक्षेवि ओ.एफ.डी खण्ड-1 इगानप, बीकानेर

(DIPR की वेब साईट पर Upload करने हेतु)

क्रमांक:- 3957-76

दिनांक:- 21/1/18

ई-निविदा सूचना सं. 04/2017-18

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्माण विभागों में सक्षम श्रेणी में नियमानुसार (समय-समय पर संशोधित) प्रभावी आदेशों के तहत पंजीकृत ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण वेब साईट <http://dipr.rajasthan.gov.in> व <http://eproc.rajasthan.gov.in> व www.cad.raj.gov.in <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रू लाख में)	धरोहर राशि कार्य का नाम		ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2 %	0.5%			
1	2	3	4	5	6	7	8
पक्के खाले की निर्माण कार्य विभागीय डिजाइन एवं स्पेशिफिकेसन के अनुसार (समस्त सामग्री सीमेंट सहित ठेकेदार की होगी)							
1	Chak 83 RB	40.09	80180	20045	500	1000	5 MONTHS
2	Chak 84 RB-A	19.56	39120	9780	500	1000	5 MONTHS
3	Chak 12 PS	21.88	43760	10940	500	1000	5 MONTHS
4	Chak 24 PS	51.77	103540	25885	1000	1000	5 MONTHS
5	Chak 78 RB-A	36.49	72980	18245	500	1000	5 MONTHS
6	Chak 3 FFA	55.80	111600	27900	1000	1000	5 MONTHS
7	Chak 38 NP	52.96	105920	26480	1000	1000	5 MONTHS

- निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करायें। यह निविदा वेबसाईट <http://www.deproline.org> तथा विभागीय वेबसाईट <http://www.cad.rajasthan.gov.in> व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
- निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 05.01.2018 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 30.01.2018 सांय 6.00 बजे तक होगी।
- (अ) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 05.01.2018 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 30.01.2018 सांय 6.00 तक जमा/अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 31.01.2018 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती हैं तो इसके अगले कार्यदिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
(द) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शायी गई धरोहर राशि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में भुगतान योग्य बैंक चैक/डीडी संलग्न करनी है।
- कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
- कार्यों से संबंधित निविदा प्रपत्र को किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 05.01.2018 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 30.01.2018 सांय 6.00 तक देखा जा सकता है।

6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दिनांक 30.01.2018 को सायं 6.00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है।
7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा खण्ड में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेंगा।
8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवा लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेंगा।
9. निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में इस कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना आवश्यक है।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं।
11. आर.पी.डब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होंगी।
12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज समान जो निविदा की स्पेशल कन्डीशन में वर्णित हैं को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
13. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।
14. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात एक पूरी वर्षा की समाप्ति या कार्य पूर्ण करने की अवधि के तिथि के 6 मास पश्चात तक जो भी पश्चातवर्ती हो तक रहेगा।
15. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संशोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
16. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ-1 एफ.डी/जीएफएण्डएआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार रु. 1000/- रुपये की राशि अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देय होंगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।
17. ई-टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश
 - (अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।
 - (ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादातों को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलैक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादातों के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - (स) निविदादाताओं का निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।
 - (द) ऑनलाइन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम सं. 3 के अनुसार खोली जायेगी।
 - (य) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है।

(र) कोई भी टैण्डर इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।

(ल) टैण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

18. संविदाकर्ता/ठेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियो एवं सेवा शर्तें विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजियन करवाना होगा तथा श्रमिकों का उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।
19. विभाग में उपलब्ध आरसीसी लीड एवं पैनल का उपयोग किया जाना है। विभाग से एनओसी प्राप्त कर ही भुगतान किया जाना है।
20. निर्माण कार्यों में मसाला मिलाने के लिए मिक्सर का प्रयोग करना होगा।
21. शर्तयुक्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(संदीप भाटी)
अधिशायी अभियन्ता
सिंक्षेवि ओ.एफ.डी. खण्ड-1
इंगानप, बीकानेर

कमांक:- 3957-3976

दिनांक:- 2-01-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

- 1 श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, सिं.क्षे.वि. इं.गा.न.प., बीकानेर।
- 2 श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सिं.क्षे.वि. वृत्त,
- 3 श्रीमान् नोडल ऑफिसर (वेबसाईट) एवं अधि. अभि. व तकनिकी सहायक आयुक्त सिंक्षेवि,
बीकानेर को मय सीडी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 अधिशायी अभियन्ता खण्ड-1, सिं.क्षे.वि.
- 5 सहायक अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. उपखण्ड 20/21/22 सिं.क्षे.वि. पदमपुर/ ओएफडी
उपखण्ड-1 बीकानेर
- 6 कान्ट्रेक्टर एसोसिएशन, सा. नि. विभाग, कैम्पस, बीकानेर।
- 7 वरिष्ठ प्रारूपकार/खण्डीय लेखाकार/कैशियर, खण्डीय कार्यालय।
- 8 नोटिस बोर्ड।

(संदीप भाटी)
अधिशायी अभियन्ता,
ओएफडी खण्ड प्रथम,
सिंक्षेवि, इंगानप, बीकानेर